

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/7619 /

जबलपुर, दिनांक 22/12/2025

II-13-64/25

श्री रामसिंह कुशवाह, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ ग्वालियर को दिनांक 08.10.2025 से 07.11.2025 तक 31 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/7620 /

जबलपुर, दिनांक 22/12/2025

II-13-64/25

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 8600/स्था. ग्वालियर, दिनांक 26/11/2025 के संदर्भ में श्री रामसिंह कुशवाह, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर का निर्धारित प्रपत्र संलग्न सहपत्र को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित,
3. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)